भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3055

जिसका उत्तर 12.03.2020 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण ब्लैक स्पॉट्स

3055. श्री एच॰ वसंतकुमारः

श्री एस॰आर॰ पार्थिबनः

डॉ॰ ए॰ चेल्लाकुमारः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-प्रवण ब्लैक स्पॉट्स के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो विशेषकर तमिलनाडु में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के खंडों पर सड़क को चौड़ा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के खंडों पर सुरक्षा दीवारों को मजबूत बनाने के लिए इनकी मरम्मत की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऐसे क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन तथा यातायात संकेतक एवं फ्लोरोसेंट लाइट लगाने के लिए आवंटित तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ): वर्ष 2011, 2012, 2013 और 2014 कैलेंडर वर्षों में हुई मौतों /दुर्घटनाओं के आधार पर ब्लैक स्पाट को निर्दिष्ट विशिष्ट आईडी संख्याओं में से 789 ब्लैक स्पाटों को अधिसूचित किया गया है। चिह्नित किए गए 789 ब्लैक स्पॉट में से 129 ब्लैक स्पॉट राज्य सरकार के अधीन हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष 660 ब्लैक स्पॉट में से 412 ब्लैक स्पॉटों की पहले से ही सुधारा जा चुका है। तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 96 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है, जिनमें से 35 ब्लैक स्पॉट पहले से ही सुधारा जा चुका है। साइट निरीक्षण, सर्वेक्षण आदि के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं जैसे कि जंक्शन सुधार, क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर संरेखण/वक्रता, फुटपाथ, सुरक्षा/रिटेनिंग वाल, क्रैश बैरियर, फुट ओवर ब्रिज, ज़ेबरा क्रॉसिंग, यातायात सुचारु करने के उपाय इत्यादि। जहां तक दुर्घटना के ब्लैक स्पॉट को सुधारने के लिए बजटीय आवंटन का संबंध है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किए गए आवंटन से धन की पूर्ति की जाती है।

*****